

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या:सी- 142 /ई-2/171 विविध/स्था./17, लखनऊ : दिनांक : जून 29, 17

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान/खण्ड में एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	सहायक अभियन्ता का नाम/गृहजनपद	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	मंगल सिंह (हमीरपुर)	नवप्रोन्नत	माताटीला बांध प्रखण्ड, झांसी (चतुर्थ उपखण्ड)	रिक्त पद पर
2-	राम प्रकाश (बाराबंकी)	नवप्रोन्नत	गुण नियंत्रण खण्ड, कानपुर	रिक्त पद पर
3-	कृष्ण कुमार (बाराबंकी)	नवप्रोन्नत	सरयू नहर अनुश्रवण खण्ड, गोण्डा	रिक्त पद पर
4-	विनोद कुमार (हरदोई)	नवप्रोन्नत	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़ (प्रथम उपखण्ड)	रिक्त पद पर
5-	विमलेश कुमार (बाराबंकी)	नवप्रोन्नत	अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट-2, लखनऊ	रिक्त पद पर
6-	राकेश चन्द्र (कन्नौज)	नवप्रोन्नत	सिंचाई खण्ड, कौशांबी (द्वितीय उपखण्ड)	रिक्त पद पर
7-	अभिलाष सिंह (इटवा)	नवप्रोन्नत	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना खण्ड, शारदा नहर, शाहजहाँपुर (द्वितीय उपखण्ड)	रिक्त पद पर
8-	आदित्य प्रकाश (रायबरेली)	नवप्रोन्नत	बाढ़ खण्ड, श्रावस्ती	रिक्त पद पर
9-	धर्मपाल सिंह मित्तल (मैनपुरी)	नवप्रोन्नत	इटवा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, इटवा (प्रथम उपखण्ड)	रिक्त पद पर

पी० के० सिंह  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या:सी- 142 /1/ई-2/दिनांक: 29/6/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० सिंचाई मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

कमश:-----2-

(2)

3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को इन स्थानान्तरण आदेशों की प्रति हस्तगत कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित अधिकारी आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती के स्थान पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये कार्यभार ग्रहण कर लें। कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
4. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, चरित्र पंजी प्रकोष्ठ (ई-2), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना/मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-स्तर-1), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महासचिव, उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता संघ/सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लखनऊ।
8. वैयक्तिक पत्रादली/कट फाइल।

 09.0.17

(नीरज कुमार)

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग